

आवेदकों द्वारा PMAY 2.0 (ISS) के अंतर्गत स्व-वचनपत्र

मैं/हम _____ [लाभार्थी का पूरा नाम] पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
[पिता/पति/पत्नी का नाम], जन्म तिथि _____ वर्तमान में
निवासी _____ [शहर/कस्बे का नाम] _____ राज्य _____
(मोबाइल/संपर्क संख्या) _____ है एवं आधार संख्या _____ है, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि
करता/करती हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ:

परिवार के सदस्यों का विवरण

नाम	परिवार के मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)	व्यवसाय	आधार संख्या/आधार वर्चुअल आईडी

1. भारत के किसी भी भाग में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है.
2. मैं ईडब्ल्यूएस (3 लाख रुपये तक) /एलआईजी (3-6 लाख रुपये) /एमआईजी (6-9 लाख रुपये) श्रेणी से संबंधित हूँ, जो सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक सकल घरेलू आय ₹9,00,000/- (नौ लाख रुपये मात्र) तक है.
3. यह कि मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया है.
4. मैं पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अपने घर के निर्माण के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत समझौते में उल्लिखित निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने हिस्से की धनराशि का योगदान करने के लिए तैयार हूँ.
5. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस मकान को पहली किस्त जारी होने की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि तक नहीं बेचूंगा/अंतरित नहीं करूंगा जिसके लिए पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त हुई है.
6. मैं पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत निर्मित घर का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करूंगा/गी और इसका किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.
7. कि मैंने पीएमएवाई-यू 2.0 के किसी अन्य वर्टिकल के अंतर्गत आवेदन नहीं किया/लाभ नहीं लिया है.
8. मैं पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगा/गी.
9. मुझे पता है कि यदि ऋण खाता बंद हो जाए या एनपीए हो जाए तो बैंक को सब्सिडी राशि वापस करने का अधिकार है.

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है. मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि पात्रता संबंधी शर्तों का पालन न करने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिनमें योजना से अयोग्य घोषित किया जाना और पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत पहले से प्राप्त किसी भी लाभ की वसूली शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.

हस्ताक्षर:

नाम:

दिनांक:

स्थान